पत्रांक–3ए–2–वे०पु०–09/2016../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषक,

सुरेन्द्र ठाकुर,
अवर सचिव।

सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी,
प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय,
महालेखाकार भवन,
वीरचंद पटेल पथ, पटना–800001

पटना, दिनांक : ....

विषयः– **वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7831, दिनांक–22.07.2024 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9614, दिनांक–04.09.2024 के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7831, दिनांक–22.07.2024 द्वारा दिनांक–11.04.2023 के उपरांत 31 दिसम्बर/30 जून को वार्धक्य सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवकों को 01 जनवरी/01 जुलाई को पेंशन एवं सेवान्त लाभों की गणना हेतु वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

2. वित्त विभागीय पत्रांक–9614, दिनांक–04.09.2024 द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है कि दिनांक–11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत होने वाले वैसे सरकारी सेवक जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि की देय तिथि क्रमशः 01 जुलाई एवं 01 जनवरी है और सेवानिवृति तिथि को वेतनवृद्धि हेतु 01 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होते है, तो उन्हें ही मात्र पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य होगा।

3. विभिन्न विभागों/हितधारकों द्वारा किसी सरकारी सेवक को प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन अथवा कार्यकारी प्रभार दिये जाने के उपरांत वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया हो, तो वैसे सरकारी सेवक को वैचारिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है।

4. उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन अथवा कार्यकारी प्रभार मिलने पर निर्धारण लाभ अनुमान्य किये जाने की स्थिति में भी ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवानिवृति की तिथि के अगले तिथि को वेतनवृद्धि परिपक्व होती है, उन्हें पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 3ए–2–वे०पु०–09/2016–..................../वि० पटना, **दिनांक** : ....

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 3ए–2–वे०पु०–09 / 2016–................... / वि०　　　　　　पटना, **दिनांक** : ....

प्रतिलिपि : सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 3ए–2–वे०पु०–09 / 2016–................... / वि०　　　　　　पटना, **दिनांक** : ....

प्रतिलिपि : **महानिबंधक,** उच्च न्यायालय, पटना / **सचिव**, बिहार विधान सभा / **सचिव,** बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 3ए–2–वे०पु०–09 / 2016–4081 / वि०　　　　　　पटना, **दिनांक** : 02-04-2025

प्रतिलिपि : **प्रभारी पदाधिकारी**, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग / **अवर सचिव,** वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग /**सिस्टम एनालिस्ट** (वित्त विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/4/2025
(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।